...1/11/...

पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण
डिक्री किया जाता है। लिखित निर्णय पृथक से लिखवाया
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत
मुताबिक होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
आदेश सुनाया गया।

[illegible] अधिकारी
[illegible] (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)
पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0–66 / 11 तारीख रजु:–05.08.11

उनवान

1. कैलाश चन्द शर्मा आयु 64
2. केदार लाल शर्मा आयु 62 साल
3. प्रहलाद शर्मा आयु 53 साल

पुत्रान सूका सभी जाति ब्राहम्ण निवासीयान बंगला वाली हवेली के पास दयाल पाडा मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. कमलराम पुत्र रामचरण आयु 43 साल जाति मीना निवासी कसारा तहसील मासलपुर
2. लाखन सिह पुत्री चिरंजी आयु 45 साल जाति मीना निवासी मैंगरा तहसील मासलपुर
3. विजेन्द्र पुत्री चिरंजी आयु 40 साल जाति मीना निवासी मैंगरा तहसील मासलपुर जिला करौली
4. श्रीमती वीदो बाई पत्नि मुरारी आयु 58 साल जाति कोली निवासी बडापुरा (भावली) तहसील मासलपुर
5. तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर तहसील करौली
6. मुकेश पुत्र लालाराम जाति खटीक निवासी महरावना तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

–::**निर्णय**::– दिनांक:– 04/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 470, 472, 473 कुल किता 3 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा वाके कस्बा मासलपुर सब तहसील मासलपुर तहसील व जिला करौली वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिनकी चारो वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात हे। जिनकी चारों दिशाओं में पत्थरों की चिनाई की बाउण्ड्रीवाल हो रही है। [illegible] र्ड में खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। वादीग[illegible] सूका की 20 फरवरी 2010 में मृत्यू हो चुकी है [illegible] से ही उक्त आराजीयात पर बतौर खातेदार काबिज [illegible] चले आ रहे हे। सम्वत 2066–2067 में वादीगण ने अपनी उक्त आराजी[illegible] में बाजरा व सरसों काश्त की थी। वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 470, 472, 473 वाके कस्बा मासलपुर से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही हैं। प्रतिवादी नं0 1 सहजोर लटठ्बाज व्यक्ति है। जबरदस्ती लटठ् के बल पर वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दबाना चाहता है। दिनांक 27–06–11 को प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 ट्रेक्टर लेकर वादीगण की उक्त आराजीयात पर आये और वादीगण द्वारा उक्त आराजयीात में बोयी फसल बाजरा व तिली पर ट्रेक्टर को घुमा कर नष्ट करने की धमकी दी। तथा धमकी दी कि हम तुम्हारी उक्त आराजीयात पर कब्जा करेंगे। दिनांक 10–7–11 को प्रतिवादी नं0 1 ता 4 हमारे गांव आये और एलानिया धमकी दी कि तुम्हारी उक्त आराजीयात पर तुम्हे काश्त नही करने देंगे। जबरदस्ती कब्जा करके रहेंगे। जहा चाहे पुकारो। वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13.10.11 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 2 ता 4 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात ग्राम मासलपुर में होना स्वीकार है। वादीगण का विवादग्रस्त आरजीयात पर कोट कब्जा काश्त नही है। कोई पत्थरों की बाउण्ड्री दीवाल नही है। उक्त आराजी से सटी हुई आराजी प्रतिवादी नंबर 4 की खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 474 ग्राम मासलपुर मे है। जिसे प्रतिवादी नं 4 ने दिनांक 9–3–11 को मुकेश कुमार पुत्र लालाराम जाति खटीक निवासी महराबना तहसील बामनवास को 80 हार रूप्ये में विक्रय कर मुकेश के हक में दिन0 10.3.11 को विक्रय कर वयनामा लिखाकर मुकेश को कब्जा सम्भलवा दिया है एवं विवादित आराजीयात खसरा नंबर 474 को मुकेश कुमार ने साझेपर प्रतिवादी नं0 2 को दे रखा है। प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का आराजी खसरा नंबर 470–472–473 से कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध किसी प्रकार का नही है। वादीगण ने दावे की आड में ख0न0 474 पर नाजायज कब्जा करने की चेष्टा में है और दावे की आड में उक्त आराजी की भूमि को दावा कर बाउण्डी करने पर आमादा है। विवादित आराजी ख.न. 470–472–473 में कोई फसल जरा व सरसों वादीगण व्दारा काश्त नही की हैं। ख.न. 470–472–473 से प्रति वादीगण का कोई सम्बन्ध नही होना सही है। प्रतिवादीगण सहजोर लटठ वाले व्यक्ति नही है। दिनाक 26–6–2011 को प्रतिवादीगण की वादीगण से [illegible] बातचीत व विवाद [illegible] खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.07.2011 [illegible] धमकी वादीगण को नहीं दी है। वादीगण के कोई अ[illegible] संबध में दर्ज नही है। वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई स्थाई निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव में [illegible] करने के अधिकारी नहीं है। भूमि पर बीसीयों वर्ष से वादीगण को [illegible] काश्त नहीं है। दावा वादीगण वादकरण के अभाव एवं म्याद वहार होने से खारिज किया जाने योग्य है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न [illegible] विरचित किये गये है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:15 IST
Reason: SelfAttested

1. आया विवादित आराजी ख.न.470, 472, 473 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाकैय ग्राम मानसपुर वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है।

—वादीगण

2. आया दावा वादीगण वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

—प्रतिवादीगण

3. आया दावा वादीगण म्याद बाहर है, चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

4. आया दावा वादीगण कब्जे के अभाव में चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

5. अनुतोष।

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी केदारलाल पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 प्रदर्श–2 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं दिनांक 10.11. 2025 को जिरह के लिए उपस्थित नहीं होने पर जिरह बंद की गई एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसकी चारो तरफ से पत्थरों की चिनाई की बाउण्ड्री हो रही है। भूमि वादीगण के पिता का नाम खातेदारी में है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। दिनांक 27.06.2011 को प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 टेक्टर लेकर वादीगण की भूमि में आये और वादीगण की बोई हुई फसल बाजरा व तिली को टेक्टर घुमाकर नष्ट करने की धमकी दी और कब्जा करने को कहा। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को पाबंद कराना चाहते है।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 01 को साबित [illegible] वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में न[illegible] पेश की है। जिस[illegible]गण के पिता सूका खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 पेश की है। जिस[illegible] पुत्र आन्नदा की खातेदारी में दर्ज है एवं वादी केदा[illegible] ने भूमि पर कब्जा होना अपने मौखिक बयान में बताया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य से नहीं किया गया है। भूमि वादीगण के पिता की खातेदारी व कब्जे की है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:15 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 ता 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यकों के संबंध में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये है। अतः विवाद्यक संख्या 2 ता 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष मे तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 05 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त में जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 में दर्ज है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई खातेदारी संबंध में प्रकट नहीं होता है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है। भूमि पर कब्जा वादीगण ने बयान मे अपना बताया है। दावा वादीगण डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 470, 472, 473 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ग्राम कस्बा मासलपुर तहसील मासलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें एवं वादीगण की फसल काश्त में रूकावट नहीं डाले ।तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:15 IST
Reason: SelfAttested